

2019/00068

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
78/19	188 RTA	नामल	इबड़ा
वादी A078/2019		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जमनालाल		बनाम	मांगीलाल

वकील :- सुरेश कुमार शर्मा एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
20/8/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ने सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/9/19 को पेश हो।	21/10 13/11
18/9/19	पत्रावली पेश हुई। नमाल प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के सम्मन वाद तालील प्राप्त। प्रतिवादी गणों की ओर से श्री अमृत लाल लोधा एडवो. का नमालत नाम पेश हुआ। जवाब हेतु सम्मन-वादा है वास्ते पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो।	
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। जवाब पेश नहीं हुआ सम्मन-वादा है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 13/11/19 को पेश हो।	
17/12/19	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 28/01/20... को पेश हो।	
28/01/20	पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 24/2/20... को पेश हो।	

आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 28/01/20... को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक... 24/2/20... को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

9/20

कोरीना सऊमन
न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 5/10/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

5/20

कोरीना सऊमन
आज विद्यार्थी अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 27/10/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

27/20

अशोक केशव
न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 24-11-20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

24/20

विद्यार्थी अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 11/11/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

4/01/21

पत्रावली पेश हुई। वकील धार्षी, असाधी उपस्थित।
जबकि पेश नहीं हुआ समय-पाश है बल्कि जबकि
अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। बल्कि जबकि पत्रावली
दिनांक 24/11/21 को पेश हो।

02/21

पत्रावली पेश हुई। वकील धार्षी, असाधी उपस्थित।
बीच बार आवाज लगाई गयी कोई उपस्थित नहीं
हूँ। पत्रावली अदम एजरी अदम करवी खारिज
की जाती है। पत्रावली फेशल शुमार होकर दाखिल 5 फरवरी को